

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- एफ 7 (2)()रा.छा./सान्याअवि/17/

जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक/सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....।

प्रारूप निरीक्षण पश्चात् जारी साईकिल प्राप्ति रसीद

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स, जिन्दल फाइन इण्डस्ट्रीज लुधियाना (पंजाब) द्वारा निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आपूर्ति आदेश क्रमांक एफ 7(2) रा.छा./सान्याअवि/2017/79181 दिनांक 20.11.2017 एवं 80717 दिनांक 24.11.2017 के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों एवं निविदा दस्तावेज की अनुपालना में साईकिल निरीक्षण हेतु आदेश क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा गठित समिति की जांच के पश्चात् फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय नाम, सील व दिनांक.....को कुल लीडर साईकिल संख्या.....साईज.....की सुपुर्दगी में दी गई है/प्राप्त की गई है।

फर्म के प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर मय नाम, पद
सील व दिनांक

हस्ताक्षर
छात्रावास
अधीक्षक मय पद
व सील, दिनांक

भण्डार प्रविष्टि प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म.....द्वारा निरीक्षण पश्चात् आपूर्ति की गई कम्पलीट लीडर साईकिल लड़के/लड़कियों 18", 20" कुल संख्या.....प्राप्त कर छात्रावास स्थायी भण्डार पंजिका के पृष्ठ संख्या.....दिनांक.....को भण्डार प्रविष्टि का इन्द्राज किया गया है।

प्रति हस्ताक्षर
उप निदेशक/सहायक निदेशक
पद सील/दिनांक

भण्डारपाल/छात्रावास
अधीक्षक के हस्ताक्षर
पद, नाम, सील व
दिनांक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
क्रमांक एफ7(2)()राछा/सान्या/2017/ 84679

जयपुर, दिनांक 7/12/17

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक एफ7(2)()राछा/सान्या/2017/79189 दिनांक 20.11.2017 एवं 80717 दिनांक 24.11.2017 के अनुसार राजकीय छात्रावासों में सप्लाइ आफ कम्प्लिट बाई सिल्कस कक्षा 6 से 12 तक के लडके एवं लडकियों हेतु दिये गये आपूर्ती आदेश के अनुक्रम में वर्ष 2017-18 में प्राप्त की जाने वाले साईकिलो के निरीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

1. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
2. सम्बन्धित राजकीय उच्च माध्यमिक /माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
3. राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज/आई.टी.आई.कॉलेज का प्रधानाचार्य अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य
4. सम्बन्धित विभागीय जिला अधिकारी के अधीन लेखा कर्मी तथा सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक

उक्त समिति साईकिलो का निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार निरीक्षण कर आपूर्ती निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार पाये जाने पर इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगी कि आपूर्ती में प्राप्त की गयी समस्त साईकिले निर्धारित साईज एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार सही हालत में प्राप्त की गयी हैं। आपूर्ती निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार नहीं पाये जाने पर इस आशय की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ7(2)()राछा/सान्या/2017/ 84680-84779 जयपुर, दिनांक 7/12/17
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, वित्तिय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट एवं एस.पी.पी.पी. पर अपलोड करवाने बाबत।
8. उपनिदेशक (छात्रावास)/सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
9. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
10. मैसर्स जिन्दल फाइन इण्डस्ट्रीज, धन्धारी कलान, रेल्वे स्टेशन के सामने, जी.टी.रोड लुधियाना, पंजाब।
11. राजकीय उच्च माध्यमिक /माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक माध्यम से उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
12. राजकीय पोलोटेक्निक कॉलेज/आई.टी.आई.कॉलेज का प्रधानाचार्य अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य माध्यम से उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
13. आदेश पत्रावली।

वित्तिय सलाहकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर